न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00192

श्रीमती बृजमोहिनी पुत्री श्री भंवर लाल पत्नी श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी क्वाटर नम्बर एल–29 लाखेरी जिला बून्दी ।

––––अपीलान्ट

बनाम

1. बाला आत्मज श्री नन्दा जाति कलाल निवासी बाजड जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. औकारी बेवा बाला आयु 70 वर्ष ।
   1/2. सत्यनारायण आत्मज बाला आयु 40 वर्ष ।
   1/3. रामचरण आत्मज बाला आयु 40 वर्ष ।
   1/4. केवल आत्मज बाला आयु 30 वर्ष जाति कलाल निवासीगण बाजड जिला बून्दी ।
2. किशन लाल आत्मज बाला आयु 38 वर्ष जाति कलाल निवासीगण बाजड जिला बून्दी ।
3. नाथू लाल आत्मज श्री ग्यारसीलाल आयु 60 जाति कलाल निवासीगण बाजड जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. रामकन्या बेवा नाथूलाल जाति कलाल निवासीगण बाजड जिला बून्दी ।
   3/2. महावीर
   3/3. छीतर आयु 44 वर्ष ।
   3/4 बाबूलाल
   3/5. भवी बाई पुत्री नाथूलाल जाति कलाल जाति नमाना ।
4. छोटू आत्मज श्री ग्यारसीलाल आयु 56 वर्ष जाति कलाल निवी बाजड (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. कन्या बाई बेवा छोटूलाल
   4/2. हनुमान आत्मज छोटूलाल
   4/3. चन्द्र बाई पुत्री छोटूलाल
5. बिरधी लाल आत्मज श्री ग्यारसीलाल जाति कलाल निवासी बाजड ।
6. रतना आत्मज श्री ग्यारसीलाल आयु 54 वर्ष जाति कलाल निवासी बाजड (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   6/1. गीता पुत्री रतना जाति कलाल निवासी बाजड ।
   6/2. द्रोपदी पुत्री रतना जाति कलाल निवासी बाजड ।
   6/3. धापू पुत्री रतना जाति कलाल निवासी बाजड ।
   6/4. मूल पुत्री रतना जाति कलाल निवासी बाजड ।
   6/5. गजानन्द आत्मज रतना जाति कलाल निवासी बाजड ।
   6/6. सुरेश आत्मज रतना जाति कलाल निवासी बाजड ।

7. भैरू आत्मज श्री ग्यारसीलाल आयु 52 वर्ष जाति कलाल निवासी बाजड बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. चौथमली बाई बेवा भैरूलाल जाति कलाल निवासी बाजड ।
   7/2. छीतर आत्मज भैरूलाल जाति कलाल निवासी बाजड ।
   7/3. सोनिया बाई पुत्री भैरूलाल जाति कलाल निवासी बाजड ।
8. शंकरी पुत्री ग्यारसी लाल पत्नी भंवर लाल जाति कलाल निवासी मनोहर बावडी जिला बून्दी ।
9. नटी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नी किशोर जाति कलाल निवासी बरूंधन जिला बून्दी ।
10. किशोरी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति कलाल निवासी बाजड ।
11. मोडूलाल आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति कलाल निवासी गामछ जिला बून्दी ।
12. धन्नी पत्नी भंवर लाल जाति कलाल निवासी बाजड (मृतक) नाम तर्क ।
13. शांति पुत्री भंवर लाल जाति कलाल निवासी जाखमूण्ड जिला बून्दी ।
14. श्रीमती मन्दसौर पुत्री श्री भंवर लाल पत्नी श्री छोटूलाल जाति कलाल निवासी गुमानपुरा रावतभाटा पट्रोल पम्प के पास, कोटा ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
16. श्रीमती उमा पारीक आयु 62 वर्ष पत्नी श्री कैलाश चन्द पारीक जाति ब्राह्मण निवासी 3/157 गणेश तालाब कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2020/00157

1. श्रीमती शांति बाई पुत्री श्री भंवर लाल आयु 60 वर्ष पत्नी श्री भंवर लाल जाति कलाल निवासी ग्राम जाखमूण्ड जिला बून्दी ।
2. श्रीमती मन्दसौर बाई पुत्री श्री भंवर लाल पत्नी श्री छोटे लाल आयु 55 वर्ष जाति कलाल निवासी गुमानपुरा रावतभाटा रोड, पेट्रोलपम्प के पास, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री किशन आयु 64 वर्ष आत्मज श्री बाला जाति कलाल निवासी ग्राम बाजड जिला बून्दी।
2. श्रीमती उमा पारीक आयु 62 वर्ष पत्नी श्री कैलाश चन्द पारीक जाति ब्राह्मण निवासी 3/157 गणेश तालाब कोटा ।
3. श्रीमती बृजमोहनी पुत्री श्री भंवर लाल पत्नी श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी क्वाटर नं0 एल–29 लाखेरी जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 20/157 में एवं अपील संख्या 19/192 में रेस्पोडेन्ट कम 13 व 14 की ओर से ।

2. श्री प्रवीण चित्तौडा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 19/192 में ।

3. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से अपील संख्या 120/157 में एवं अपील संख्या 19/152 में रेस्पोडेन्ट कम 16 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट श्रीमती बृजमोहनी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, बंटवारा व कब्जा हेतु वाद संख्या 370/दावा/2000 प्रस्तुत कर कथन किया कि भंवरलाल आत्मज नन्दा जाति कलाल निवासी बाजड का देहान्त लगभग 20 वर्ष पूर्व हो गया है । भंवर लाल जी की विधवा प्रतिवादी कम 12 धन्नी बाई है । भंवर लाल की पुत्रियॉ वादिनी बृजमोहनी तथा प्रतिवादी कम 13 शान्ति एवं प्रतिवादी कम 13 मन्दसौर हैं । भंवर लाल जी की सम्पत्ति में उनके देहान्त के बाद वादिनी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण श्रीमती धन्नी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी शान्ति का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी मन्दसौर का 1/4 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है उक्त भूमि बाला जी एवं भंवर लाल के सहखातेदारी की भूमि हैं जिसमें बाला जी एवं भंवर लाल जी का संभाग से 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज है । भंवर लाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में वादिनी का 1/8 हिस्सा निहित है । परिशिष्ट 'ब' में वर्णित आराजी मतें वादिनी का 1/16 हिस्सा निहित है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हो गया किन्तु राजस्व अधिकारियों ने भंवरलाल जी के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि का इंतकाल वादिनी व अन्य उत्तराधिकारियों के नाम नहीं खोला जाकर केवल धन्नी बाई के नाम खोल दिया । वादिनी का वादग्रस्त आराजी परिशिष्ट 'अ' में वर्णित आराजी में 1/8 हिस्सा व परिशिष्ट 'ब' में वर्णित आराजी में 1/16 हिस्सा बनता है जिसकी वह खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है ।

4. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर परिशिष्ट 'अ' में वर्णित आराजी में वादिनी का 1/8 एवं 'ब' में वर्णित आराजी में वादिनी को 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी को विभाजन में आराजी दी जावे तथा उस पर वादिनी को तन्हा कब्जा दिया जावे ।

5. इसी प्रकार वादिनी अपीलान्ट श्रीमती शान्ति बाई एवं मन्दसौर बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 115/दावा/2006 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम बाजड तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 1060 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि के पूर्व खातेदार भंवर लाल आत्मज श्री नन्दा जी थे । भंवर लाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में धन्नी बाई का 1/4, शान्तिबाई का 1/4 हिस्सा, मन्दसौर का 1/4 एवं बृजमोहनी का 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त भंवर लाल जी की मृत्यु के बाद धन्नी बाई के खाते लग गई और उसके बाद किशन लाल ने वसीयत के आधार पर उक्त भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली और किशन लाल ने दिनांक 08 दिसम्बर 2005 को उक्त भूमि श्रीमती उमा पारीक को बेचान कर दी जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है ।

6. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी कम 03 बृजमोहनी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी कम 03 का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.04.2019 के द्वारा वाद संख्या 115/दावा/2006 को समेकित करते हुए वादिनी बृजमोहिनी व समेकित वाद संख्या 115/दावा/2006 को खारिज करते हुए खसरा नम्बर 1060 पर उमा परीक का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2019 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 19/00192 एवं 20/00157 प्रस्तुत कर अपीलान्टगण ने दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2019 निरस्त करने का कथन किया ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपील संख्या 19/00192 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बृजमोहनी बाई ने ग्राम बाजड तहसील तालेडा की वादग्रस्त आराजी जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में दिया गया है के बाबत् अधिकार घोषणा का दावा इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादी प्रतिवादी संख्या 12 धन्नी बाई, प्रतिवादी कम 13 और 14 भंवर लाल के वारिस हैं । बृजमोहन बाई, शान्ति बाई और मन्दसौर बाई उनकी पुत्रियॉ हैं । धन्नी बाई उनकी बेवा है जिसका देहान्त हो चुका है । परिशिष्ट 'अ' में वर्णित आराजी में वादिनी का 1/8 हिस्सा और परिशिष्ट 'ब' में वर्णित आराजी में 1/16 हिस्सा है । भंवर लाल के देहान्त के बाद सम्पूर्ण भूमि धन्नी बाई के खाते लग गई थी । कुछ भूमि किशनलाल के खाते लगी थी जिसका बेचान कर दिया गया । प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । दावा संख्या 115/दावा/2006 को इस

दावे के साथ समेकित करके निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । जमाबन्दी में धन्नी बाई का नाम आ जाने से वो अकेली वादग्रस्त आराजी की खातेदार नहीं बन जाती है । प्रतिवादी संख्या 13 शान्तिबाई ने अपने बयानों में कथन किया है कि बृजमोहनी बाई भंवर लाल की पुत्री है । साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । तनकी नं0 02 व 3 का विश्लेषण नहीं किया गया है । साक्ष्य की विवेचना किये बिना किशन लाल को गोदपुत्र मान लिया गया है । किशनलाल के पक्ष में जो नामान्तरकरण खोला गया है वो वसीयत के आधार पर खोला गया था जिसको जिला कलक्टर के द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी पुष्टि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के द्वारा की गई और राजस्व मण्डल के द्वारा भी अपील खारिज की गयी है । किशन लाल ने विरोधाभासी तथ्य रखे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

11. अपील संख्या 2020/00157 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने खसरा नम्बर 1060 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाजड तहसील तालेडा के बाबत् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट बृजमोहनी बाई को खातेदार घोषित करने किशनलाल एवं उमा परीक का नाम विलोपित करने की प्रार्थना की थी । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने तथ्यों से इंकार किया। रेस्पोडेन्ट क्रम 03 ने वादीगण के समर्थन में जवाब दिया । रेस्पोडेन्ट क्रम 04 के जवाब में पत्रावली लम्बित थी और इसको बिना जवाब लिया समेकित कर कर दिया गया । बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य लिये वाद संख्या 370/दावा/2000 के साथ खारिज कर दिया गया न तो जवाबदावा लिया गया और न ही समेकित तनकीयात कायम की गई, न ही वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली गई । न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट वादीगण और रेस्पोडेन्ट बृजमोहनी बाई, धन्नी बाई के साथ समान रूप से स्वामी बने । अकेले धन्नी बाई के नाम नामान्तरकरण खुल जाने से उनके अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है । धन्नी बाई को सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं था । बिना साक्ष्य लिये धन्नी बाई की वसीयत को सही माना है जबकि इसके बाबत् कोई साक्ष्य नहीं ली गई है । यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्टगण भंवर लाल की पुत्रियॉ हैं । अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनका वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2020 (एससी) पेज 01 उद्धरत की ।

12. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि एक दावा बृजमोहनी बाई ने पेश किया है जिसमें परिशिष्ट 'अ' की सम्पूर्ण आराजी में 1/8 हिस्सा और परिशिष्ट 'ब' की सम्पूर्ण आराजी में 1/16 हिस्से की मांग की है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 वादीगण के द्वारा पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 663 की रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा नन्दा और ग्यारसा पिसरान फत्ता के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–4 में खसरा नम्बर 663 के अलावा खसरा नम्बर 291 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा बाला वल्द नन्दा के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श– 2 के अनुसार नन्दा वल्द फत्ता के खाते में 06 किता की 57 बीघा 10 बिस्वा आराजियात दर्ज है। जमाबन्दी प्रदर्श–5 के अनुसार किशनलाल पुत्र भंवर लाल के खाते में खसरा नम्बर 374 की 28 बीघा 05 बिस्वा ओर खसरा नम्बर 375 की रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा बाला वल्द नन्दा के खाते में दर्ज है और केचमेंट के उपरान्त किशनलाल के खाते में आराजियात के नम्बर

1162, 1164 और 1171 कायम किये गये थे । जमाबन्दी प्रदर्श–3 के अनुसार नन्दा वल्द फत्ता कौम कलाल हिस्सा 1/2, गोपाल, भैरू, रतनलाल पिसरान माधो हिस्सा 1/4 खाना पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 दर्ज है और प्रदर्श–6 के अनुसार आवंटन सूची केचमेंट ब्लॉक में धन्नी बेवा भंवर लाल के हिस्से में खसरा नम्बर 578 मिन रकबा 06 बीघा आराजी दर्ज है । नन्दा मूल पुरूष हैं जिनके 02 पुत्र बाला और भंवर लाल । भंवरलाल की पत्नी धन्नी बाई का किशन लाल उनका गोदपुत्र था । शान्ति बाई और मन्दसौर बाई उनकी पुत्रियॉ थीं परन्तु बृजमोहनी बाई उनकी पुत्री नहीं थी यह स्वीकृत तथ्य है और किशन लाल के गोद को भी किसी ने चैलेंज नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों को समेकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । चूँकि किशनलाल, भंवर लाल का गोदपुत्र है और आराजी पैतृक है इस कारण वो जन्म से ही उसमें भंवर लाल के साथ सहखातेदार दर्ज होने का अधिकारी है । तद्नुसार परिशिष्ट 'अ' और 'ब' में जो आराजियात दर्ज है उसमें भंवर लाल का हिस्सा अपने पिता के साथ कोपार्सनर के रूप से जन्म से ही बनता है और पिता की मृत्यु के उपरान्त पिता के हिस्से में उनका उनकी माता और बहिन शान्तिबाई और मन्दसौर का संभाग से बनता है । किशन लाल ने उमा परीक को जो आराजी बेचान की है उसका करबा 05 बीघा 15 बिस्वा है जबकि उसके हिस्से में उससे कहीं अधिक आराजी आती है । ऐसी स्थिति में उमा पारीक को जो विक्रय किया गया है वो किशनलाल के हिस्से में आने वाली आराजी से कम आराजी का है जिससे उसके हिस्सा कम किया जा सकता है । उमा पारीक सद्भावी क्रेता है जिनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर वादग्रस्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है और काबिज काश्त है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका था और विभाजन के अनुसार धन्नी बाई को तन्हा रूप से जो आराजी प्राप्त हुई थी उसकी वसीयत वादी किशन लाल के पक्ष में की है और किशन लाल ने पंजीकृत विक्रय पत्र से इस उमा पारीक ने क्रय किया है । जहॉ तक दूसरे दावे में तनकीयात कायम नहीं होने का प्रश्न है दूसरे दावे में जो सारभूत प्रश्न निहित था उसकी परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में विस्तृत रूप से पृष्ठ संख्या 05 पर विवेचना की है । ऐसी स्थिति में बिना तनकीयात कायम किये भी यदि सरभूत प्रश्न का विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जाता है तो वह विधि सम्मत है उसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008 (1) (राज0) पेज 479, 2005 एससीसी पेज 290, 2006–07 (सप्ली0) आरआरटी (एससी) पेज 153, आरआरडी 2010 पेज 74 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । दावा संख्या 370/दावा/2000 में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2047 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028–2047 प्रदर्श–3, नकल आवंटन सूची प्रदर्श–4, नकल फर्द इख्तलाफ केचमेंट ब्लॉक प्रदर्श–5, नकल आवंटन सूची प्रदर्श– 6 पेश किये गये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श– डी–1 संलग्न की गई है जिसे किशनलाल के द्वारा उमा पारीक के पक्ष में खसरा नम्बर 1060 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बाजड के लिए निष्पादित किया गया है । विक्रय पत्र की प्रमाणित

प्रति प्रदर्श–डी–2 पेश की गई हैं जिसे सत्यनारायण के द्वारा उमा पारीक के पक्ष में खसरा नम्बर 1059 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाजड के लिए निष्पादित किया गया है ।

15. दावा संख्या 370/दावा/2000 में वादी ने बयान बृजमोहनी पीडब्ल्यू–1, बरधी लाल पीडब्ल्यू–2, मोडूलाल पीडब्ल्यू– 3 कराये गये हैं ।

16. प्रतिवादी की ओर से बयान किशनलाल डीडब्ल्यू–1, बालचन्द डीडब्ल्यू–2, मोडूदास डीडब्ल्यू–3, सुगन दास डीडब्ल्यू–4 एवं शांति बाई कराये गये हैं । शांति बाई के बयान में पीडब्ल्यू अथवा डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं हैं । इसके अलावा पत्रावली में डीडब्ल्यू– 1 के रूप में उमा पारीक के बयान भी शामिल मिसल हैं जबकि डीडब्ल्यू–1 के रूप में पहले से ही किशनलाल के बयान शामिल हैं ।

17. दावा संख्या 115/दावा/2006 में किसी के भी बयान नहीं कराये गये हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 खसरा नम्बर 1060 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा संलग्न है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 176 का नोट अंकित है जिसमें धन्नी के स्थान पर किशनलाल को खातेदार दर्ज किया गया है और नामान्तरण संख्या 1183 का भी नोट अंकित है जिसके अनुसार यह आराजी विक्रय पत्र के आधार पर उमा पारीक के खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है । इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत् 2012– 2025, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नामान्तरकरण संख्या 86 संलग्न की गई हैं परन्तु किसी भी दस्तावेजात का प्रदर्श नहीं करवाया गया है । नकल नामान्तरकरण संख्या 86 से खसरा नम्बर 578 के विभाजन के फलस्वरूप धन्नी बेवा भंवर लाल के खाते में खसरा नम्बर 578/1 रकबा 06 बीघा आराजी दर्ज करने के आदेश किया हैं । खसरा नम्बर 578/1 के नये नम्बर क्या बने हैं इसके बाबत् कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है । इस दावे में वादीगण के द्वारा 05 बीघा 15 बिस्वा आराजी जो कि खसरा नम्बर 1060 की है जिसमें अपना 1/4 हिस्सा निहित होने की प्रार्थना की है । दावे के बाबत् प्रतिवादीगण किशनलाल ने जवाब की मद संख्या 04 में यह कथन किया गया है कि धन्नी बाई ने पूर्ण होश हबाश से दिनांक 01.04.2004 को एक वसीयत का निष्पादन किशनलाल के पक्ष में किया था । इस कारण वादीगण धन्नीबाई के उत्तराधिकारी नहीं हैं और बृजमोहनी बाई, धन्नी बाई की पुत्री नहीं है परन्तु प्रतिवादी ने अपने इस कथन के समर्थन में कोई वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की है । जब तक वसीयत परीक्षण न्यायालय में पेश न हो और उसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित न किया जावे तब तक इस वसीयत के बाबत् कोई निर्णय विधिक रूप से पारित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावे में बिना तनकीयात कायम किये पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 05 में अंकित कर दिया है कि वसीयत धन्नी बाई ने किशनलाल के पक्ष में की थी और उसके आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना उसको विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित करवाये जो अपना मत व्यक्त किया है वह त्रुटिपूर्ण है । जब दोनों दावों को समेकित किया जाता है तो दोनों दावों में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर समेकित रूप से दोनों दावों की तनकीयात पर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरज नजीर आरएलडब्ल्यू 2008 (1) (राज0) पेज 479 यहाँ चस्पा नहीं होती है क्योंकि इस प्रकरण में दावा संख्या 115/दावा/2006 में पक्षकारों के द्वारा वसीयत के बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उसमें वादीगण का कितना हिस्सा बनेगा ये सब साक्ष्य के उपरान्त ही तय होगा ।

अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकरण में न तो वसीयत पेश की गई और न ही खसरा नम्बर 1060 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा जो शांति बाई बनाम किशन लाल के दावे में विवादित है के सम्बन्ध में मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है । नामान्तरकरण संख्या 86 साबिक खसरा नम्बर 578 के आधार पर दर्ज किया गया है । प्रतिवादी के द्वारा कोई वसीयत भी परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं की गई है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर बिना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय ने दावा संख्या 115/दावा/2006 का जो निर्णय बिना तनकीयात के बिना साक्ष्य के पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

18. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक यह कथन करते हैं कि किशनलाल का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त आराजी में जो हित–निहित है उसके कम आराजी का उन्होंने विक्रय किया था । इसका निर्धारण करने के लिए परीक्षण न्यायालय में साबिक जमाबन्दियॉ, मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबन्दियॉ पेश किया जाना आवश्यक है । उनके आधार पर भंवर लाल के खाते की कुल आराजी व उसमें पक्षकारों के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्से तय किये जा सकते हैं । यदि किशनलाल के हिस्से में उनके द्वारा विक्रय की गई आराजी से अधिक आराजी आती है तो विक्रय की गई आराजी को उनके हिस्से से कम किया जा सकता है ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 19/192 एवं 20/157 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 17 व 18 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए समेकित किये गये दावे में भी तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से दोनों दावों की समेकित तनकीयात के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा